HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No. C/4750 Jabalpur, dated 29/06/2024
III-6-4/72

Copy of the notification no. 1074-2055260 dated 04-06-2024 of the Government of M.P., Department of Women & Child Development issued as per the provisions of Section 4 (1) and (2) of the Juvenile Justice Act, 2015 (excerpted from Gazette of M.P. dated 07.06.2024), is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable Acting Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judge, Sheopur for information and necessary action with request that the order may kindly brought to the knowledge of the concerned Judge also;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.

29.06.2024
RITURAJ SINGH CHOUHAN
REGISTRAR District Establishment

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2024

क्र. 1036-1974105-2024-पचास-2.—महिला एवं बाल विकास विभाग पत्र क्रमांक 683-1784165-2023-पचास-2, दिनांक 14 मार्च 2024 द्वारा आदेशित "राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय के नियम 87 के तहत माननीय न्यायाधीश श्रीमती नंदिता दुबे (सेवानिवृत्त) को किशोर न्याय बोर्ड का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है" को प्रतिसंहत (Withdraw) करते हुये निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण), आदर्श संशोधन नियम 2022 (मूल नियम 2016) के नियम 87 के उपनियम (2) के साथ वर्णित नियम, 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सामाजिक कार्यकर्ताओं के चयन हेतु तीन वर्ष के लिए राज्य स्तर पर उक्त नियमों के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य स्तरीय चयन समिति में अध्यक्ष पद पर माननीय न्यायाधीश श्रीमती नंदिता दुबे (सेवानिवृत्त न्यायाधीश) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश को मनोनीत करता है.

भोपाल, दिनांक 4 जून 2024

क्र. 1074-2055260.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्योपुर	श्योपुर	सुश्री ऋचा भट्ट, JMFC

No. 1074-2055260.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015, the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sheopur	Sheopur	Sushri Richa Bhatt, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माधवी नागेन्द्र, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला निवाड़ी, मध्यप्रदेश

निवाड़ी, दिनांक 29 मई 2024

क्र. 98-वरि. शा.-कले.नि.-2024.—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 की धारा 3 सहपठित मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक-13-1-75-दो-अ(3), दिनांक 5 फरवरी 1975 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर, जिला निवाड़ी, श्री सतीश वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवाड़ी को तहसील निवाड़ी एवं ओरछा के अपनी सीमा अधिकार क्षेत्र के सक्षम अधिकारी (कॉम्पीटेन्ट अथॉरिटी) नियुक्त करता हूं.

यह भी आदेश दिया जाता है कि भविष्य में जो भी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवाड़ी नियुक्त किये जायेंगे वे मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत पदेन सक्षम अधिकारी (कॉम्पीटेन्ट अथॉरिटी) रहेंगे.

क्र. 99-वरि. शा.-कले.नि.-2024.—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 की धारा 3 सहपठित मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एक-13-1-75-दो-अ(3), दिनांक 5 फरवरी 1975 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर, जिला निवाड़ी, श्री अनुराग निंगवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पृथ्वीपुर को तहसील पृथ्वीपुर के अपनी सीमा अधिकार क्षेत्र के सक्षम अधिकारी (कॉम्पीटेन्ट अथॉरिटी) नियुक्त करता हूं.

यह भी आदेश दिया जाता है कि भविष्य में जो भी अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पृथ्वीपुर नियुक्त किये जायेंगे वे मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत पदेन सक्षम अधिकारी (कॉम्पीटेन्ट अथॉरिटी) रहेंगे.

अरूण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर.